कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह

पृष्ठां. क्र. 1138/एक–2–1/83 दमोह, दिनांक 16 अप्रैल 2024

प्रतिलिपि :–

समस्त न्यायालय/प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक/आसंजित लिपिक दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा जिला दमोह की ओर न्यायालय श्री राम सिंह बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला दमोह म.प्र. का दांडिक कार्य वितरण आदेश जावक क्रं. 15/स्टेनो/2024 दमोह दिनांक 10.04.2024 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

16.4.24

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह म.प्र

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय
आवक क्र. 2839
दिनांक 12/04/24
दमोह (म.प्र.)

न्यायालय– राम सिंह बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह

जिला दमोह (म.प्र.)

कमाक–140 / 2024 दमोह, दिनांक 10.04.2024

प्रति,

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय

दमोह, जिला दमोह म.प्र.

विषय – दांडिक कार्य वितरण आदेश दिनांक 10.04.2024 अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने के संबंध में।

––00––

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, दांडिक कार्य वितरण आदेश दिनांक 10.04.2024 हस्ताक्षरित होने के पश्चात् अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

यही विनम्र निवेदन है।

संलग्न– दाडिक कार्य वितरण आदेश दिनांक 10.04.2024।

राम सिंह बघेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
जिला दमोह म.प्र.

न्यायालय :–राम सिंह बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला दमोह (म.प्र.)

–:: दाण्डिक कार्य वितरण आदेश ::–
(भाग–1)

जावक कमांक–15/स्टेनो/2024 **दमोह, दिनांक– 10.04.2024**

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुख्यालय दमोह पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती परिधि गुप्ता एवं श्रीमती शैफाली सिंह एवं तहसील न्यायालय हटा से श्री सुनील कुमार खरे एवं तहसील न्यायालय तेंदूखेड़ा से श्री जगमोहन सिंह के पदोन्नत होकर स्थानांतरण होने और उनके स्थान पर नवीन पद स्थापना होने तथा इस स्थापना पर पदस्थ प्रशिक्षु न्यायाधीश सुश्री प्रिया राठी, सुश्री तसलीम निजामी की नियमित पद स्थापना होने से न्यायालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु मैं, **राम सिंह बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–15(2) के अंतर्गत प्राप्त प्राधिकारों एवं शक्तियों के प्रयोग में पूर्व में जारी कार्य वितरण आदेश/संशोधित आदेशों को अतिष्छित करते हुए न्यायिक जिला स्थापना दमोह, हटा, पथरिया एवं तेन्दूखेड़ा में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दाण्डिक प्रकरणों के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु निम्नानुसार दाण्डिक कार्य का विभाजन करता हूँ, उक्त कार्यविभाजन आदेश आगामी आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	दाण्डिक कार्य विभाजन का वितरण
1	श्री राम सिंह बघेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह म.प्र. **I-CJ-I**	**1.** पुलिस थाना **कोतवाली दमोह, दमोह देहात एवं आबकारी वृत्त अ एवं ब तथा यातायात** से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना कोतवाली दमोह, हिंडोरिया के उद्भूत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति उत्पन्न भादवि की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए, बी, सी एवं डी तथा 354ए म.प्र. संशोधन, धारा 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, दमोह के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां। **2.** पुलिस थाना कोतवाली एवं दमोह देहात से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं। **3.** चलचित्र अधिनियम। **4.** प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम। **5.** दुकान स्थापना अधिनियम। **6.** वेट्स एवं मेजरमेंट एक्ट। **7.** श्रमिक विधियाँ। **8.** मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम।

		9. नगर पालिका अधिनियम। **10.** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय प्रकरण। **11.** सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दमोह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। **12.** धारा 410 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। **13.** पुलिस थाना **कोतवाली एवं दमोह देहात** से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां। **14.** पुलिस थाना **कोतवाली एवं दमोह देहात** के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)। **15.** पुलिस थाना कोतवाली एवं दमोह देहात से उद्भूत खात्मा (F.R.) प्रकरण। **16.** समस्त दमोह जिला के आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत खारिजी (E.R.) प्रकरण। **17.** अन्य ऐसे सभी प्रकरण, जिनका उल्लेख इस विभाजन में नही हैं। **18.** अन्य आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश, दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावे।
2	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दमोह म.प्र.	**1. महिला थाना दमोह एवं हिंडोरिया** से उद्भूत समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद/इस्तगासा एवं **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** कार्यवाहियां तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **2. महिला थाना दमोह एवं हिंडोरिया** से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां। **3.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार सिविल जिला दमोह के तहसील दमोह एवं जबेरा अंतर्गत **खान-खनन एवं वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां। **4.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार **थाना कोतवाली दमोह, देहात दमोह, हिण्डोरिया, जबेरा एवं नोहटा** के **विशिष्टतया महिलाओं** के प्रति उत्पन्न भादवि की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए, बी,सी एवं डी तथा 354ए म.प्र. संशोधन, धारा 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **5. महिला थाना दमोह, थाना कोतवाली दमोह, देहात दमोह, हिण्डोरिया, जबेरा एवं नोहटा** से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं, जो **विशिष्टतया महिलाओं** के प्रति होने वाले अपराध से संबंधित हों। **6.** थाना कोतवाली एवं दमोह देहात, हिण्डोरिया, जबेरा एवं नोहटा से

		उद्भूत **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. तक (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण को छोड़कर) तथा मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां एवं परिवाद प्रकरण। **7.** पुलिस थाना **कोतवाली दमोह, दमोह देहात, हिण्डोरिया, जबेरा एवं नोहटा** के ऐसे प्रकरण जो **विशिष्टतया महिलाओं** के प्रति कारित अपराध से संबंधित हैं, उन प्रकरणों के पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय/नियमित न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां। **8.** ग्राम न्यायालय रिक्त होने से आगामी आदेश तक ग्राम न्यायालय प्रभार से संबंधित प्रकरणों में प्रभारी न्यायिक अधिकारी की हैसियत से अत्यावश्यक कार्य संपादित करते हुए आगामी तिथिया नियत करेंगे। **9.** महिला थाना दमोह एवं थाना हिंडोरिया के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)। **10.** महिला थाना दमोह एवं थाना हिंडोरिया के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। **11.** आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें। **12.** पुलिस **थाना हिंडोरिया** से उद्भूत **धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम** के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।
3	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दमोह म.प्र.	**1.** पुलिस थाना **जबेरा** से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** एवं अन्य कार्यवाहियां (थाना जबेरा एवं नोहटा के उद्भूत भरण–पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति उत्पन्न भादवि की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए, बी,सी एवं डी तथा 354ए म.प्र. संशोधन, धारा 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, दमोह के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **2.** किशोर न्याय बोर्ड दमोह से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई। **3.** अन्य कार्य जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें। **4.** पुलिस थाना **जबेरा** से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां। **5.** आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

		दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें। **6.** पुलिस **थाना जबेरा** से उद्भूत **धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम** के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां। **7.** पुलिस **थाना जबेरा** के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)। **8.** पुलिस **थाना जबेरा** के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।
4	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह जिला दमोह म. प्र.	**1.** पुलिस थाना **नोहटा** से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना जबेरा एवं नोहटा के उद्भूत भरण–पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति उत्पन्न भादवि की धारा 312, 313, 314 315, 354, 354ए, बी,सी एवं डी तथा 354ए म.प्र. संशोधन, धारा 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, दमोह के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **2.** पुलिस थाना **नोहटा** से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा / परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं। **3.** पुलिस **थाना नोहटा एवं दमोह देहात** से उद्भूत **धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम** के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां। **4.** पुलिस **थाना नोहटा** के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)। **5.** पुलिस **थाना नोहटा** के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। **6.** पुलिस थाना **नोहटा** से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां। **7.** आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावे।
5	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह जिला दमोह म. प्र.	**1.** **जी.आर.पी. चौकी दमोह** से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना जबेरा एवं नोहटा के उद्भूत भरण–पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति उत्पन्न भादवि की धारा 312, 313, 314 315, 354, 354ए, बी,सी एवं डी तथा 354ए म.प्र. संशोधन, धारा 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अपराध

		तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, दमोह के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **2.** **जी.आर.पी. चौकी दमोह** से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं। **3.** **जी.आर.पी. चौकी एवं कोतवाली** से उद्भूत **धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम** के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां। **4.** **जी.आर.पी. चौकी दमोह** के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)। **5.** जी.आर.पी. चौकी दमोह के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। **6.** **जी.आर.पी. चौकी दमोह** से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां। **7.** आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।
6	श्री देवेन्द्र अतुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह	**1.** पुलिस थाना **हटा, बटियागढ़, मढ़ियादौ** से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण तथा अन्य कार्यवाहियां (थाना हटा, पटेरा, मढियादौ के उद्भूत भरण–पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति उत्पन्न भादवि की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए, बी,सी एवं डी तथा 354ए म.प्र. संशोधन, धारा 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के मामलों को छोड़कर) जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **2.** पुलिस थाना **हटा, बटियागढ़, मढ़ियादौ** से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं। **3.** **ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008** की धारा 12 में उपबंधित अनुसूची के भाग एक एवं भाग दो में उल्लेखित आपराधिक प्रकरण जो जनपद पंचायत हटा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उदभूत होने वाले सभी प्रकरण। **4.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क्र. 17/एक–11–1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार जिला दमोह के तहसील हटा, पटेरा और बटियागढ़ के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्रों के **खान–खनन एवं वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां। **5.** पुलिस थाना **हटा, बटियागढ़, मढ़ियादौ** से उद्भूत **धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम** के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां। **6.** पुलिस थाना **थाना हटा, रनेह, गैसाबाद, बटियागढ, पटेरा, रजपुरा, मढ़ियादौ, कुम्हारी एवं मगरौन** के ऐसे प्रकरण जो **विशिष्टतया महिलाओं** के

		प्रति कारित अपराध से संबंधित हैं, उन प्रकरणों के पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय/नियमित न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां, जिसमें पुलिस थाना **हटा, बटियागढ़, मढ़ियादौ** से उद्भूत अन्य सभी प्रकरणों में फरार/स्थाई वारंट के संबंध में होने वाली कार्यवाहियां। **7.** पुलिस **थाना हटा, बटियागढ़, मढ़ियादौ** के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)। **8.** पुलिस **थाना हटा, बटियागढ़ मढ़ियादौ** के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। **9.** तहसील हटा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त प्रकरण। **10.** आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।
7	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह	**1.** पुलिस थाना **रनेह, गैसाबाद** से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां तथा अन्य कार्यवाहियां (थाना रनेह, गैसाबाद के उद्भूत वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, हटा के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **2.** पुलिस थाना **रनेह, गैसाबाद** से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं। **3.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार **थाना हटा, रनेह, गैसाबाद, बटियागढ, पटेरा, रजपुरा, मढ़ियादौ, कुम्हारी एवं मगरौन** के **विशिष्टतया महिलाओं** के प्रति उत्पन्न भादवि की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए, बी,सी एवं डी तथा 354ए म.प्र. संशोधन, धारा 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **4.** थाना हटा, रनेह, गैसाबाद, बटियागढ, पटेरा, रजपुरा, मढ़ियादौ, कुम्हारी एवं मगरौन से उद्भूत **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. तक (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण को छोड़कर) तथा मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न अन्य

		कार्यवाहियां एवं परिवाद प्रकरण। **5.** पुलिस थाना **रनेह, गैसाबाद** से उद्भूत **धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम** के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां। **6.** पुलिस थाना **रनेह, गैसाबाद** से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां। **7.** पुलिस **थाना रनेह, गैसाबाद** के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)। **8.** पुलिस **थाना रनेह, गैसाबाद** के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। **9.** आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।
8	श्री तेजसींग गौंड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह	**1.** पुलिस थाना **पटेरा एवं कुम्हारी** से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना पटेरा, कुम्हारी के उद्भूत **भरण–पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं** के प्रति उत्पन्न भादवि की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए, बी,सी एवं डी तथा 354ए म.प्र. संशोधन, धारा 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, हटा के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **2.** पुलिस थाना **पटेरा, कुम्हारी** से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं। **3.** पुलिस थाना **पटेरा, कुम्हारी** से उद्भूत **धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम** के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां। **4.** पुलिस थाना **पटेरा, कुम्हारी** से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां। **5.** पुलिस **थाना पटेरा, कुम्हारी** के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)। **6.** पुलिस **थाना पटेरा, कुम्हारी** के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। **7.** आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।
9	सुश्री दिव्यानी सिंह,	**1.** पुलिस थाना **रजपुरा एवं मगरोन** से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना रजपुरा एवं मगरोन के उद्भूत वन अपराध एवं

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह	खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, हटा के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **2.** पुलिस थाना रजपुरा एवं मगरौन से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा / परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं। **3. पुलिस थाना रजपुरा एवं थाना मगरौन** के **विशिष्टतया महिलाओं** के प्रति उत्पन्न भादवि की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए, बी,सी एवं डी तथा 354ए म.प्र. संशोधन, धारा 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **4. पुलिस थाना रजपुरा एवं थाना मगरौन** से उद्भूत **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. तक (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण को छोड़कर) तथा मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां एवं परिवाद प्रकरण। **5.** पुलिस थाना **रजपुरा एवं मगरोन** से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा / परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं। **6.** पुलिस थाना **रजपुरा एवं मगरोन** से उद्भूत **धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम** के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां। **7.** पुलिस थाना **रजपुरा एवं मगरोन** से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां। **8.** पुलिस **थाना रजपुरा एवं मगरोन** के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)। **9.** पुलिस **थाना रजपुरा एवं मगरोन** के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। **10.** आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।
10	श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथरिया, जिला दमोह	**1.** पुलिस थाना **पथरिया** से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **2.** पुलिस थाना **पथरिया** से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा / परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं। **3.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश

		क्र. 17/एक–11–1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार थाना पथरिया के **विशिष्टतया महिलाओं** के प्रति उत्पन्न भादवि की धारा 312, 313, 314 315, 354, 354ए, बी,सी एवं डी तथा 354ए म.प्र. संशोधन, धारा 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **4.** थाना पथरिया से उद्भूत **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. तथा मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां एवं परिवाद प्रकरण। **5.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क्र. 17/एक–11–1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार सिविल जिला दमोह के तहसील पथरिया के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले **खान–खनन एवं वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां। **6.** पुलिस थाना **पथरिया** से उद्भूत **धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम** के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां। **7.** पुलिस थाना **पथरिया** से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां। **8.** पुलिस **थाना पथरिया** के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)। **9.** पुलिस **थाना पथरिया** के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। **10.** तहसील पथरिया के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त प्रकरण। **11.** अन्य आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां जो माननीय प्रधान न्यायाधीश दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।
11	श्री पुजीत कमल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह	**1.** पुलिस थाना **तेंदूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही** से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **2.** पुलिस थाना **तेंदूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही** से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दं.प्र.सं.** के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं। **3.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्यविभाजन आदेश क्र. 17/एक–11–1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार थाना तेजगढ, तेन्दूखेड़ा एवं तारादेही के **विशिष्टतया महिलाओं** के प्रति उत्पन्न भादवि की धारा 312, 313, 314 315, 354, 354ए, बी,सी एवं डी तथा

		354ए म.प्र. संशोधन, धारा 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं। **4.** थाना **तेंदूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही** के उद्भूत **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. तथा मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां एवं परिवाद प्रकरण। **5.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्यविभाजन आदेश क्र. 17/एक–11–1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार सिविल जिला दमोह के तहसील तेन्दूखेड़ा के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले **खान–खनन एवं वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां। **6.** पुलिस थाना **तेंदूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही** से उद्भूत **धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम** के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां। **7.** पुलिस थाना **तेंदूखेड़ा, तेजगढ़ एवं तारादेही** से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां। **8.** पुलिस **थाना तेंदूखेड़ा, तेजगढ़ एवं तारादेही** के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)। **9.** पुलिस **थाना तेंदूखेड़ा, तेजगढ़ एवं तारादेही** के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। **10.** अन्य आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां जो माननीय प्रधान न्यायाधीश दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।

(भाग–2)

–:: अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::–

कॉलम नं. 2 के मजिस्ट्रेटों के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने के कारण अथवा अन्य किसी प्रकार से बाहर रहने की दशा में अथवा उनका न्यायालय रिक्त हो जाने की दशा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रभार निम्नानुसार रहेगा–

1	2	3	4	5
क.	**पीठासीन अधिकारी**	**प्रथम प्रभार**	**द्वितीय प्रभार**	**तृतीय प्रभार**
1	राम सिंह बघेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
2	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	राम सिंह बघेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
3	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
4	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
5	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
6	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री तेजसींग गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
7	श्रीमती दीप्ति ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री तेजसींग गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
8	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री तेजसींग गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
9	श्री तेजसींग गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
10	श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथरिया	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
11	श्री पुजित कमल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेड़ा	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह

(भाग–3)

–:: धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन से संबंधित प्रभार आदेश ::–

महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री/पीड़ित/फरियादी के धारा 164 दप्रसं के अंतर्गत कथनों को छोड़कर शेष अपराधों के संबंध में साक्षियों के धारा 164 के तहत कथन एवं संस्वीकृति नीचे दर्शाये कॉलम नंबर 02 में वर्णित थाना से संबंधित कथन कॉलम नंबर 3 में दर्शित मजिस्ट्रेट द्वारा लिये जायेंगे, कॉलम नंबर 3 में दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में कॉलम नंबर 4 में दर्शित मजिस्ट्रेट तथा कॉलम नंबर 4 में दर्शित मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर कॉलम नंबर 5 में दर्शित मजिस्ट्रेट द्वारा लिये जायेंगे :–

क्र.	आरक्षी केन्द्र का नाम	अधिकृत मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली दमोह, जबेरा** एवं **नोहटा**	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह, (स्वयं के न्यायालय के विचारण योग्य (प्रकरणों को छोड़कर)	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
2	आरक्षी केन्द्र **दमोह देहात** एवं **हिण्डोरिया, तेंदूखेड़ा**	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
3	आरक्षी केन्द्र **तेजगढ़, तारादेही, पथरिया एवं एससी. एसटी एक्ट थाना**	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह, (स्वयं के न्यायालय के विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
4	आरक्षी केन्द्र **हटा, बटियागढ़** एवं **मढ़ियादों**	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री तेजसींग गौंड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
5	आरक्षी केन्द्र **रनेह** एवं **गैसाबाद**	श्री तेजसींग गौंड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
6	आरक्षी केन्द्र **पटेरा** एवं **कुम्हारी**	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
7	आरक्षी केन्द्र **रजपुरा** एवं **मगरोन**	श्रीमत दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री तेजसींग गौंड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा

(भाग–3 क)

–:: धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन से संबंधित प्रभार आदेश ::–

महिलाओं से संबंधित अपराधों में धारा 164 की उपधारा 5क, के संदर्भ में हुये संशोधन अनुसार उसके अनुक्रम में निम्नानुसार अभियोक्त्री/पीड़ित/फरियादी के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन एवं संस्वीकृति विशेषतः महिला न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किये जाने का निर्देशानुसार निम्नानुसार प्रभार कथन एवं संस्वीकृति अंकित करने हेतु दमोह जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र, जो कॉलम नं. 2 में वर्णित है, के धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन कॉलम नं. 3 के मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है एवं उनके अवकाश या अन्य दशा में उनका प्रथम एवं द्वितीय प्रभार निम्नानुसार रहेगा :–

क.	आरक्षी केन्द्र का नाम	अधिकृत मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली दमोह, दमोह देहात, महिला थाना** एवं **हिण्डोरिया**	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
2	आरक्षी केन्द्र **जबेरा, नोहटा, तेंदूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही**	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
3	आरक्षी केन्द्र **पथरिया** तथा **एस.सी.एस.टी. एक्ट थाना**	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
टीप– तहसील न्यायालय हटा में दो महिला मजिस्ट्रेट पदस्थ होने से निम्नानुसार साक्षी/अभियोक्त्री के कथन/संस्वीकृति अंकित किये जाने हेतु उन्हें अधिकृत किया जाता है:–				
4	आरक्षी केन्द्र **हटा, बटियागढ़, मढ़ियादौ, रनेह** एवं **गैसाबाद,**	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हटा (स्वयं के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)	सुश्री दिव्यांनी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हटा (स्वयं के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
5	आरक्षी केन्द्र **पटेरा, कुम्हारी, रजपुरा** एवं **मगरोन**	सुश्री दिव्यांनी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हटा (स्वयं के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हटा (स्वयं के द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह

नोटः–

1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत होने वाले अपराधों में धारा 164 दप्रस के कथन भी उपरोक्तानुसार अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिये जायेंगे।
2. बाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों में धारा 164 दप्रस के कथन एवं संस्वीकृति बाल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को छोड़कर कार्य विभाजन आदेशानुसार उल्लेखित कमानुसार अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा लेख किये जायेंगे।

(भाग–4)

–:: एनडीपीएस एक्ट की धारा 52(क) की कार्यवाही के प्रभार हेतु आदेश ::–

स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 52(क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण के लिए कॉलम नंबर 02 में वर्णित आरक्षी केंद्रो के लिए कॉलम नंबर 03 के मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है और उनके अवकाश या अन्य कारण से बाहर रहने की दशा में उनका प्रथम एवं द्वितीय प्रभार कॉलम नंबर 4 और 5 के मजिस्ट्रेट पर रहेगा :–

क.	आरक्षी केन्द्र का नाम	अधिकृत मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली दमोह, जबेरा** एवं **नोहटा**	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह,	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
2	आरक्षी केन्द्र **दमोह देहात** एवं **हिण्डोरिया, तेंदूखेड़ा**	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
3	आरक्षी केन्द्र **तेजगढ़, तारादेही, पथरिया एवं एससी. एसटी एक्ट थाना**	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह,	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
4	आरक्षी केन्द्र **हटा, बटियागढ़** एवं **मढ़ियादों**	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री तेजसींग गौंड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
5	आरक्षी केन्द्र **रनेह** एवं **गैसाबाद**	श्री तेजसींग गौंड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
6	आरक्षी केन्द्र **पटेरा** एवं **कुम्हारी**	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
7	आरक्षी केन्द्र **रजपुरा** एवं **मगरोन**	श्रीमत दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री तेजसींग गौंड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा

(भाग–5)

–:: आवश्यक निर्देश ::–

1. इस दाण्डिक कार्य वितरण आदेश के निर्वहन में संबंधित मजिस्ट्रेट को किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह को संदर्भित किया जावे।

2. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. उपरोक्त कार्य वितरण आदेश के अतिरिक्त अन्य आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावे, उनका विचारण भी संबंधित मजिस्ट्रेटों के द्वारा किया जायेगा।

4. चलित न्यायालय का संचालन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह के द्वारा संपूर्ण दमोह जिले में किया जावेगा। अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **दमोह** में मोटरयान अधिनियम से संबंधित चलित न्यायालय का संचालन अपने–अपने थाना क्षेत्रो में करेगें और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी मजिस्ट्रेट को अन्य थाना क्षेत्र में चलित न्यायालय का संचालन करने हेतु अधिकृत समय–समय पर किया जा सकेगा। इस स्थापना के अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चलित न्यायालय लगाने के पूर्व **माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की अग्रिम अनुमति लेकर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह** को लिखित सूचना देने के बाद उसे लगा सकेगें। यह भी सुनिश्चित रखें कि न्यायालयीन कार्य दिवसों में चलित न्यायालय के आयोजन की स्थिति में पूर्व से नियत कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिये।

5. संक्षिप्त विचारण के समस्त प्रकरण, जिनमें अभियुक्त अपराध को स्वीकार करना चाहता है, में, अभियोग पत्र प्रस्तुत होने तथा संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने पर उनके न्यायालय के आवश्यक दाण्डिक कार्यभार देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे संक्षिप्त विचारण के प्रकरणों का निराकरण विधि अनुसार किया जावेगा और **ऐसे प्रकरण निराकृत किए जाने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पंजीबद्ध किए जावेंगे।**

6. किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं सुनवाई योग्य प्रकरणों का निकारण संबंधित न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा।

7. वर्तमान में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के **स्थानांतरण** होने पर उनके स्थान पर पदस्थ होने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा **दांडिक कार्य, विभाजन पत्रक** के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।

8. किसी भी मजिस्ट्रेट न्यायालय में पूर्व से लंबित मामले को अंतिम रूप से निराकरण करना, आवश्यक कार्य में नहीं आयेगा। सार्वजनिक अवकाश के दिन आवश्यक कार्यो के संपादन के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्राधिकृत किये जाने की स्थिति में ऐसे प्राधिकृत द्वारा विशिष्ट रूप से :–

(i) धारा 167 दं.प्र.स., 1973 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत रिमाण्ड आवेदन पत्र। **(ii)** जमानत संबंधी

आवेदन पत्र। **(iii)** उसी दिन प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड आवेदन पत्रों के अपराध में जप्त की गई संपत्ति को सुपुर्दगी में दिये जाने वाले आवेदन पत्र, की सुनवाई की जाकर निराकृत करना होगा परंतु अवकाश के दिन, पूर्व से लंबित आपराधिक प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय से आहूत किये जाने का आदेश नही दिया जायेगा।

9. किसी न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण से संबंधित अन्य उद्भूत विविध कार्यवाही एवं प्रकरण उसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहेंगे।

10. इस दाण्डिक कार्य वितरण आदेश पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह के द्वारा जारी कार्य वितरण आदेश अधिभावी/प्रभावी होगा।

11. भाग–2, 3, 3क एवं 4, 4क इस दाण्डिक कार्य वितरण आदेश के अभिन्न अंग समझे जावें।

(भाग–5क)
राजपत्र में दिये गये
–:: आवश्यक निर्देश ::–

1. धारा 164 के अधीन साक्षी/अभियोक्त्री के संस्वीकृति से भिन्न कोई भी कथन, दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 की उपधारा (5) के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार अभिलिखित किया जाएगा।

2. जहां कथन अभियोक्त्री का है, वहां वह दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 की उप–धारा (5क) के अधीन विशेषतः महिला न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा।

3. उप–नियम (2) के प्रयोजन के लिए जहां अभियोक्त्री को प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किये जाने के चौबीस घंटे से अधिक का समय समाप्त होने के पश्चात् दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है, वहां दण्डाधिकारी अन्वेषक अधिकारी से विलंब के कारणों को उल्लिखित करने वाले प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त करेगा, जैसा कि केस डायरी में अभिलिखित है।

4. न्यायालय, अन्वेषक अधिकारी से तत्काल अभियोक्त्री से संबंधित चिकित्सा विधिक प्रमाण–पत्र की एक प्रति प्राप्त करेगा।

5. उप–नियम (3) और (4) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ उप–नियम (2) के अधीन तथा अभिलिखित मूल कथन को एक आवरण में बांधकर सील–बंद किया जायेगा और प्रेषण तथा संबंधित न्यायालय द्वारा प्राप्ति का प्रमाण संधारित करते हुये, दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 की उप–धारा (6) के अधीन जांच या विचारण करने वाले न्यायालय को अग्रेषित किया जायेगा।

6. कथन अभिलिखित करने वाला न्यायालय उप–नियम (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट किन्हीं दस्तावेजों की प्रति अपने पास नहीं रखेगा।

7. उपरोक्त उप–नियम (2) के अधीन अभिलिखित कथन की एक प्रति, अन्वेषक अधिकारी को कार्यवाहियों के अभिलेख में यह विनिर्दिष्ट निर्देश अभिलिखित करते हुये प्रदत्त की जाएगी और अन्वेषक अधिकारी द्वारा हाशिए में अपने हस्ताक्षर सहित इसकी अभिस्वीकृति दी जायेगी, कि इसे किसी के सामने प्रकट नहीं किया जायेगा।

8. अभियुक्त को केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 या 208 के अधीन प्रक्रम पर ही, उप–नियम (2) के अधीन अभिलिखित कथन की प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित किए जाने की दिनांक....../......./2024 तथा अनुमोदित दिनांक से प्रभावी।

अनुमोदित

12/4/24

(श्री अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला एवं सत्र न्यायालय, दमोह म.प्र.

राम सिंह बघेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
जिला दमोह म.प्र.